सत्यमेव जयते
Web Copy Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 23/2014

1. नरहरसिंह लाल पुत्र श्री चम्पालाल जाति माली निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल
2. प्रेम बाई बेवा रामलाल जाति माली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल
3. गोविन्द लाल पुत्र रामलाल नाबा0 जर्ये वली स्वयं माता प्रेम बाई पत्नि रामलाल जाति माली निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल
4. छोटी बाई पत्नि हीरालाल पुत्री चम्पालाल
5. चमेली बाई पत्नि बद्रीलाल पुत्री चम्पालाल
6. काली बाई पत्नि देवीलाल पुत्री चम्पालाल

   } जाति माली नि0 सीसवाली तह0 मांगरोल
7. भैरूलाल
8. नाथी बाई
9. छोटी बाई

   } पिसरान नारायण जाति माली निवासीगण सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां
10. चन्द्रकलां पुत्री पन्नालाल पत्नि घनश्याम जाति माली निवासी घटकाना तहसील दीगोद जिला कोटा
11. कंचन बाई बेवा पन्नालाल जाति माली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां

......प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0एल0आर0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील प्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायरा दिनांकः 13.06.2014 निर्णय दिनांक : 07.06.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी क्रम 7 लगायत 9 मृतक पूर्व खातेदार नारायण के खातेदार है शेष प्रार्थीगण मृतक पूर्व खातेदार चम्पालाल के वारिसान है पूर्व खातेदार चम्पालाल व नारायण का स्वर्गवास हो चुका है सिर्फ प्रार्थी क्रम 2 व 3 को छोडकर अन्य के नाम इन्तकाल तस्दीक हो चुका है। ग्राम सीसवाली की जमाबंदी सम्वत 2010–13 में आराजी खसरा नं0 1382/422–429 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा खातेदार चम्पा बेटा रोडू 1/2 व नारायण बेटा कान्हा 1/2 के खाते में दर्ज हो रही है। रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा पर वर्तमान में प्रार्थीगण काश्त कर रहे है। लेकिन रेकार्ड में खसरा नं0 1368 रकबा 1.00 है0 आराजी दर्ज कर रखी है इस प्रकार दौराने सेटलमेंट भू–राजस्व कार्मिको ने प्रार्थीगण का 1.48 है0 आराजी कम कर दी जिसको प्रार्थीगण पूरा कराने के अधिकारी है अतः प्रार्थीगण के खाते में कमी रकबा 1.48 है0 आराजी पूरा किया जाकर खाते में 2.48 है0 वाके सीसवाली में दर्ज करने के आदेश

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 13.06.2014 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र कमांक / भू0अ0 / 2016 / 20 दिनांक 12.07.2016 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम सीसवाली की जमाबंदी सम्वत 2010–13 खसरा नं0 1382 / 422–429 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा भूमि चंपा बेटा रोडू नारायण बेटा कान्हा के खाते दर्ज है हाल जमाबंदी 2069–72 ग्राम सीसवाली खाता संख्या 436 खसरा नं0 1368 रकबा 1.00 है0 नृसिंग लाल, रामलाल पुत्र चम्पा छोटी, चमेली, काली पुत्रियां गोबरी बेवा चम्पा 5 / 12 चंद्रकला पुत्री पन्ना कंचन बेवा पन्ना 1 / 12 भंवरलाल पुत्र नारायण नाथी छोटी पुत्रियां नारायण 1 / 2 जाति माली सा0 देह के नाम दर्ज खाता है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में सम्वत 2014–23 में दर्ज खसरा नं0 422–429 का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नही किया है। इस कारण हाल खसरा नंम्बर 1368 साबिक खसरा नं0 422–429 से बनना प्रतीत नही होता है। प्रकरण में उक्त दस्तावेज के अभाव में तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाना संभव नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थता जाहिर की है प्रार्थी द्वारा प्रकरण में सम्वत 2014–23 में दर्ज खसरा नं0 422–429 का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नही किया है। अतः दस्तावेज के अभाव में प्रकरण में किसी भी प्रकार का निर्णय न्याय हित में प्रतीत नही होता है एवं प्रार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प सीसवाली मजमेंआम में सुनाया गया।